

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 कार्तिक 1939 (श0)

(सं0 पटना 1042) पटना, बुधवार, 8 नवम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना ८ नवम्बर २०१७

एस0 ओ0 263 दिनांक 8 नवम्बर 2017— बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है) के नियम 61 के उप—िनयम (5) और बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 875 दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना एस० ओ० 169 दिनांक 21 सितम्बर, 2017 के साथ पिठत बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, इलेक्ट्रॉनिक रुप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररुप जीएसटीआर—3ख में, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा उल्लिखित रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख तक, विवरणी देने हेत् उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में शर्ते विनिर्दिष्ट करते हैं, यथा :—

सारणी

क्रम सं0	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	प्ररुप जी.एस.टी.आर.—3ख में विवरणी देने की अंतिम तारीख	शर्ते			
(1)	(2)	(3)	(4)			
1.	उक्त नियमों के नियम 117 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 140 के निबंधनों में इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के हकदार रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किंतु जिन्होंने 28 अगस्त, 2017 को या उससे पहले प्ररुप जी. एस.टी. टी.आर.ए.एन.—1 फाइल न करने का विकल्प चुना है।	25 अगस्त, 2017				

क्रम सं0	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	प्ररुप जी.एस.टी.आर.—3ख में विवरणी देने की अंतिम तारीख	शर्ते
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	उक्त नियमों के नियम 117 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 140 के निबंधनों में इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के हकदार रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति और जिन्होंने 28 अगस्त, 2017 को या उससे पहले प्ररुप जी. एस.टी. टी.आर.ए.एन.—1 फाइल करने का विकल्प चुना है।	28 अगस्त, 2017	(i) जुलाई, 2017 मास के लिए "उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर" की संगणना करना और 25 अगस्त, 2017 को या उसके पूर्व उक्त नियमों के नियम 87 के उपबंधों के अनुसार उसे नकद में जमा करना; (ii) जी.एस.टी.आर.—3ख फाइल करने से पूर्व, उक्त नियमों के नियम 117 के उपनियम (1) के अधीन प्ररुप जी.एस.टी. टी.आर.ए.एन.—1 फाइल करना; (iii) जहां जुलाई, 2017 मास के लिए उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर की रकम, जिसके ब्यौरे प्ररुप जी.एस.टी.आर.—3ख में दी गई विवरणी में हैं, मद (i) के अनुसार नकद में जमा किए गए कर की रकम से अधिक है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त नियमों के नियम 87 के उपबंधों के अनुसार 28 अगस्त, 2017 को या उसके पूर्व नकद में ऐसी आधिक्य रकम का, 26 अगस्त, 2017 से ऐसे जमा किए जाने की तारीख तक संगणित ऐसे ब्याज के साथ, जो लागू हो, संदाय करेगा।
3.	कोई अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति	25 अगस्त, 2017	

2. जी.एस.टी.आर.—3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए करों का संदाय— प्ररुप जी.एस.टी. आर.—3ख में विवरणी फाइल करने वाला प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 25 अगस्त, 2017 को या उसके पूर्व, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में विकलन करके अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के मद्दे अपने दायित्व का निर्वहन करेगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,--

- (i) ''रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति'' पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की अपेक्षा है;
- (ii) ''उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर'' पद से जुलाई, 2017 मास के लिए संदेय ऐसे कर, जिसकें ब्यौरे प्ररुप जी.एस.टी.आर.—3ख में दी गई विवरणी में दिए गए हैं और इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी रकम, जिसकें लिए कर उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित उक्त अधिनियम के अध्याय V और धारा 140 के अधीन जुलाई, 2017 मास के लिए वह हकदार हो, के बीच का अंतर अभिप्रेत है।
- यह अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017—3995)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

8 नवम्बर 2017

एस0ओ0 264, एस0ओ0 263 दिनांक 8 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017–3995)] बिहार–राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

The 8th November 2017

S.O. 263, Dated 8th November 2017—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act") read with sub-rule (5) of Rule 61 of the Bihar goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as "the said Rules") and notification S.O.-169 dated 21st September, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary vide no.-875 dated 21st September, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies the conditions in column (4) of the Table below, for furnishing the return in FORM GSTR-3B electronically through the common portal for the month of July, 2017, for such class of registered persons as mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, by the date specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl.	Class of registered persons	Last date for	Conditions
No.	Class of registered persons	furnishing of	Conditions
110.		return in FORM	
		GSTR-3B	
(1)	(2)	(3)	(4)
(1) 1.	Registered persons entitled to avail	` /	(4)
1.	input tax credit in terms of section	25 August, 2017	
	140 of the said Act read with rule		
	117 of the said Rules but opting not to file FORM GST TRAN-1		
2	on or before the 28 th August, 2017	20 Assessed 2017	(i) commute the litery morphis and a side
2.	Registered persons entitled to avail	28 August, 2017	(i) compute the "tax payable under the
	input tax credit in terms of section 140 of the said Act read with rule		said Act" for the month of July, 2017
			and deposit the same in cash as per the provisions of rule 87 of the said Rules
	117 of the said Rules and opting to file FORM GST TRAN-1 on or		•
	before the 28 th August, 2017		on or before the 25 August, 2017; (ii) file FORM GST TRAN-1 under
	before the 28 August, 2017		sub-rule (1) of rule 117 of the said
			` '
			Rules before the filing of FORM GSTR-3B;
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			(iii) where the amount of tax payable under the said Act for the month of
			July, 2017, as detailed in the return
			furnished in FORM GSTR-3B, exceeds
			the amount of tax deposited in cash as
			per item (i), the registered person shall
			pay such excess amount in cash in
			accordance with the provisions of rule
			87 of the said Rules on or before 28 th
			August, 2017 along with the applicable
			interest calculated from the 26 th day of
			August, 2017 till the date of such
			deposit.
3.	Any other registered person	25 August, 2017	
	1 mg outer registered person	20 1145450, 2017	

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per GSTR-3B: Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under

the Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger on or before 25th August, 2017.

Explanation.- For the purposes of this notification, the expression-

- (i) "Registered person" means the person required to file return under sub-section (1) of section 39 of the said Act;
- (ii) "tax payable under the said Act" means the difference between the tax payable for the month of July, 2017 as detailed in the return furnished in FORM GSTR-3B and the amount of input tax credit entitled to for the month of July, 2017 under Chapter V and section 140 of the said Act read with the rules made thereunder.
- **3.** This notification shall come into force with effect from 17 August, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017-3995)]
By order of the Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, बिहार गजट (असाधारण) 1042-571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in